न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–102/2019 प्रार्थना पत्र   दर्ज तिथिः 27.06.2019

GCMS No. : 2019/00316

1. कचरू पिता रामलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
2. छगनलाल पिता रामलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
3. दुर्गाबाई पुत्री रामलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी कनेश तहसील निम्बाहेडा राज०
4. नन्दुबाई पुत्री रामलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गोपाल लाल पिता शंकरलाल जी जाति जटिया उम्र वयस्क निवासी कोचवा तहसील निम्बाहेडा राज० (न्यायालय आदेश से विलोपित किया गया)
2. श्री घनश्याम पिता हीरालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
3. राज सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज

.............अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री एस.एन सालवी
अप्रार्थीगण नम्बर 2 अधिवक्ता :– श्री अबरार अहमद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

–ःनिर्णयः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथि : 18.08.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। [illegible] इस प्रकार से है कि वाके मोजा कोचवा पटवार हल्का [illegible] तहसील [illegible] में नये सेटलमेन्ट अनुसार खाता संख्या 19 की आराजी नं0 1129 रकबा 1.0800 हैक्टर लगानी 3.24 रूपये है। जिसके पुराने आराजी नं० 830/3 रकबा 5 बीघा हैं। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

की आराजी खाता संख्या 57 की आ0नं0 1130/1254 रकबा 0.6500 हेक्टर स्थित हैं, जिसके पुराने आनं0 830/5 रकबा 3 बीघा है। पुष्टि में नकल वर्तमान एवं गत सेटलमेन्ट की जमाबंदियाँ एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलीपीयाँ पेश हैं।

2. प्रार्थीगण की मूल साबिक आराजी नं0 830/3 राजस्व नक्शा ट्रेस में पूर्व दिशा में स्थित थी तथा आराजी नम्बर 830/3 के पश्चिम दिशा में विपक्षी की आराजी नं0 830/5 दर्ज रेकार्ड थी और इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी मौके पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। राज0 सरकार द्वारा भूमियो का नये सिरे से नपती कर नया सेटलमेन्ट किया गया, तब सेटलमेन्ट कमेटी के अधिकारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थीगण की आराजी जहाँ पूर्व राजस्व नक्शे में तरमीम थी, उसी जगह यानि पूर्व दिशा की तरफ नवीन आराजी नं0 1129 को तरमीम नहीं कर पश्चिम दिशा में जहाँ विपक्षी की पुरानी आनं० 830/5 दर्ज थी वहाँ पर प्रार्थीगण की नवीन आराजी नं0 1129 तरमीम कर दी जबकि वहाँ विपक्षी की आनं० 830/5 जिसके नवीन आनं० 1130/1254 दर्ज होना चाहिये था जो वहाँ पर दर्ज नहीं कर प्रार्थी की आनं० 1129 को दर्ज कर दी. जबकि वहाँ पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा ही नहीं हैं, बल्कि विपक्षी का कब्जा हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व साबिक राजस्व नक्शा अनुसार ही उसी स्थान पर नवीन आराजी का तरमीम नवीन नक्शा ट्रेस में कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित हैं।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी की तरमीम साबिक रिकार्ड अनुसार करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि मौजा कोचवा की आराजी नम्बर 1129 एवं 1131 आपस में एक दुसरे की जगह तरमीम हो गई है। दोनों का रकबा 1.08–1.08 है0 बराबर है एवं खातेदार अपनी–अपनी आराजी पर सेटलमेन्ट से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में खातेदार श्री कचरू पिता रामलाल की मृत्यु हो चुकी है। गोपाललाल पिता भांकरलाल जटिया के नाम पर आराजी नम्बर 1130/1254 रकबा 0.65 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिस पर कचरू वगैराह का कब्जा–काश्त नही होकर यह भूमि अलग से है। अतः आराजी नम्बर 1131 की जगह 1129 एवं आराजी नम्बर 1129 की जगह 1131 के खातेदारों के नाम दर्ज किया जाना की अनुशंषा की है।

क्र. सं.	ग्राम	आराजी नं.	रकबा (है0)	नाम खातेदार	मौके अनुसार खातेदार का कब्जा का त
1.	कोचवा	1129	1.08	श्री कचरू, छगनलाल, दुर्गाबाई, नन्दुबाई पिता रामलाल, नोजीबाई पत्नि स्व. रामलाल चमार सा देह खातेदार	श्री घनश्याम पिता हीरालाल बलाई सा देह खातेदार
2.	कोचवा	1131	1.08	श्री घनश्याम पिता हीरालाल बलाई सा देह खातेदार	श्री कचरू, छगनलाल, दुर्गाबाई, नन्दुबाई पिता रामलाल, नोजीबाई पत्नि स्व. रामलाल चमार सा देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:36 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

साथ ही संशोधित उनवान के विपक्षी संख्या 2 श्री घनश्याम पिता हीरालाल जाति बलाई ने दिनांक 17.08.2023 को अपने जवाब दावें में अंकित किया है कि " प्रकरण हाजा में न्यायालय आदेश से पर्चा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उस पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार आराजियात का अंकन नक्शें में तरमीम किया जाने में मुझ विपक्षी को कोई एतराज नहीं है, मैं इससे सहमत हूं। जवाब दावे के अन्त में पर्चा मौका रिपोट्र अनुसार आराजियात का अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:
Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. मैंने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। मौजा कोचवा की आराजी नम्बर1129 एवं 1131 आपस में एक दुसरे की जगह तरमीम हो गई है। दोनों का रकबा 1.08–1.08 है0 बराबर है एवं खातेदार अपनी–अपनी आराजी पर सेटलमेन्ट से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे है। पत्रावली में संलग्न साबिक नक्शा की फोटोप्रति में आराजी नम्बर 830/5 की तरमीम दक्षिण दिशा में है जहां अभी वर्तमान आराजी नम्बर 1029 रकबा 1.08 की नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम की हुई होकर वर्तमान में ग्राम कोचवा की जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हैं जबकि कब्जा खातेदार घनश्याम पिता हीरालाल बलाई का है। साथ ही संशोधित उनवान के विपक्षी नम्बर 2 ने भी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की ओर से प्रस्तुत संशोधित शुद्धि पत्र अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने में अपनी सहमति प्रदान की है। अतः साबिक रिकार्ड से साबित [illegible] पक्षकार विपक्षी नम्बर 2 द्वारा राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने की सहमति प्रदान करने एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट में शुद्धि की अनुशंषा किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Siryi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:36 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकार्ड से साबित होने, प्रभावित पक्षकार विपक्षी नम्बर 2 द्वारा राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने की सहमति प्रदान करने एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट में शुद्धि की अनुशंषा किये जाने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोचवा की आराजी नम्बर 1129 रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि श्री घनश्याम पिता हीरालाल बलाई सा. देह के नाम एवं आराजी नम्बर 1131 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि श्री कचरू, छगनलाल, दुर्गाबाई, नन्दुबाई पिता रामलाल मु. नोजी पत्नि रामलाल चमार सा.देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:36 IST
Reason: SelfAttested